न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्याः— 6/2019 जी.सी.एम.एस नं0 2019/00003

1. गुलाब बेवा रामसहाय
2. नाथी बेवा रामू पुत्र वधु रामसहाय
3. मुकेश पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
4. गिरधारी पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
5. विनोद पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
6. अनिल पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
7. पप्पूलाल पुत्र रामसहाय
8. छोटूराम पुत्र रामसहाय
9. गोलाल लाल पुत्र रामसहाय
10. ओमीलाल उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय
11. कल्याण पुत्र रामचन्दर
12. बद्री पुत्र रामचन्दर

समस्त जाति बैरवा समस्त निवासीगण ढाणी दूबली वालों की ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगणः—

बनाम्

1. रामपाल पुत्र कल्याण
2. पूरण पुत्र कल्याण
3. राम पुत्र कल्याण
4. तेजराम पुत्र रामपाल

समस्त जाति बैरवा समस्त निवासीगण ढाणी दूबली वालों की ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
6. सबरजिस्ट्रार बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीगणः—

दावा अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री विनोद शर्मा, एड0 वादीगण

श्री सुधीर शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

दिनांकः— 22/01/2025

—:निर्णयः—

1. आज यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा, ख.न. 963/132 रकबा 3.07 बीघा, ख.न. 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू0अ0नि0 क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के मूल खातेदार रामू पुत्र रामसहाय की मृत्यु हो गई है व वादी संख्या 2 लगायत 6 मृतक रामू के प्रथम श्रेणी के वारिस उत्तराधिकारी है। जिन पर राइट टू श्यू सरवाईव करते है। जिन्हे मृतक के स्थान पर पक्षकार बनाया गया है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी सीमा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 961/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 959/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

नम्बर 960/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 132/9 रकबा 2.10 वीघा भूमि स्थित है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि रकबा 10 बीघा से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकर नहीं है ना ही कभी रहा है, परन्तु प्रतिवादीगण, वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर बुरी नजर रखते है एवं ऐन केन प्रकारेण दबाने, हड़पने का प्रयास करते है एवं विरोध करने पर लडाई झगडा करते है। वाद बहक वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा, ख.न. 963/132 रकबा 3.07 बीघा, ख.न. 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू0अ0नि0 क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में जबरन प्रवेश नहीं करे, मेड़ डोल तारफेन्सिंग को नष्ट नहीं करें, जबरन निर्माण कार्य नहीं करे, आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं स्वयं करे ना दीगर से करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सख्यां 1 ता 4 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया, जिसे न्यायाहित में खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश कर अवगत करवाया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमियों के मध्य सीमा का कोई विवाद नहीं है एवं प्रतिवादी सीमाज्ञान हेतु सहमत है वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तनकी कायम की गई। बावजूद अवसरों के साक्ष्यवादी एवं साक्ष्यप्रतिवादी उपस्थित नहीं आने पर बन्द की जाकर प्रकरण पर उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

3. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 319 खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा, खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 963/132 रकबा 3.07 बीघा, खाता संख्या 403 खसरा नम्बर 132/8 रकबा 3.07 बीघा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू0अ0नि0 क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी वादी की खातेदारी की आराजी होना साबित है, जिसके पड़ौसी भूमि खसरा नम्बर 961/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 959/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 960/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 132/9 रकबा 2.10 बीघा भूमि स्थित के खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना स्पष्ट है।

4. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण में खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः–प्रकरण में जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः–प्रकरण में काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः वादी की आराजी भूमि वाके ग्राम कानोता खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा, ख.न. 963/132 रकबा 3.07 बीघा, ख.न. 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की भूमि खसरा नम्बर 961/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 959/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 960/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 132/9 रकबा 2.10 बीघा के मध्य विवाद सीमाज्ञान से सम्बन्धित है। वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान तहसीलदार बस्सी करावें। हाल काश्तकार अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा, ख.न. 963/132 रकबा 3.07 बीघा, ख.न. 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू0अ0नि0 क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है उक्त विवादित भूमि का एक भू0अ0निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम गठित कर नियमानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करें एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का जब तक सीमाज्ञान न हो तब तक वादीगण की भूमि पर आने–जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करे व किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे, ना ही खुर्द–बुर्द करें। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि में सीमाज्ञान की कार्यवाही की जाकर न्यायालय को अवगत करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:– 6/2019 जी.सी.एम.एस नं0 2019/00003

वादीगण

1. गुलाब बेवा रामसहाय
2. नाथी बेवा रामू पुत्र वधु रामसहाय
3. मुकेश पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
4. गिरधारी पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
5. विनोद पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
6. अनिल पुत्र रामू पोत्र रामसहाय
7. पप्पूलाल पुत्र रामसहाय
8. छोटूराम पुत्र रामसहाय
9. गोलाल लाल पुत्र रामसहाय
10. ओमीलाल उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय
11. कल्याण पुत्र रामचन्दर
12. बद्री पुत्र रामचन्दर

समस्त जाति बैरवा समस्त निवासीगण ढाणी दूबली वालों की ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. रामपाल पुत्र कल्याण
2. पूरण पुत्र कल्याण
3. राम पुत्र कल्याण
4. तेजराम पुत्र रामपाल

समस्त जाति बैरवा समस्त निवासीगण ढाणी दूबली वालों की ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
6. सबरजिस्ट्रार बस्सी जिला जयपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री विनोद शर्मा, एड0 वादीगण
श्री सुधीर शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

पर्चा डिक्री

दिनांक 22/01/2025

दावा वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा, ख.न. 963/132 रकबा 3.07 बीघा, ख.न. 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू0अ0नि0 क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है उक्त विवादित भूमि का एक भू0अ0निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम गठित कर नियमानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करें एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का जब तक सीमाज्ञान न हो तब तक वादीगण की भूमि पर आने–जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करे व किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे, ना ही खुर्द–बुर्द करें। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि में सीमाज्ञान की कार्यवाही की जाकर न्यायालय को अवगत करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर